

## प्रपत्र-क

किसान समृद्धि योजना के लिए आवेदन  
(व्यक्तिगत किसान के लिए)

आवेदक					
समूह का नाम (यदि समूह के माध्यम से आवेदन कर रहा है)					
पिता/पति का नाम					
उम्र					पासपोर्ट साईज फोटो
लिंग					
जिला					
प्रखण्ड					
पंचायत					
ग्राम					
जाति	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/सामान्य				
कुल रकबा (एकड़ में)					
जमीन का विवरण					
क्रम संख्या	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा (एकड़ में)	रकबा (डिस्मिल में)	कुल
फसल का विवरण					
क्रम संख्या	फसल का नाम		रकबा	उपज	
सिंचाई जल स्रोत	नदी/तालाब/डोभा/कुआ				
आधार संख्या					
मोबाइल नंबर					
<p>मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैं योजना के निर्देशिका के अनुसार पात्र आवेदक हूँ। किसी भी समय मेरे द्वारा घोषित जानकारी गलत पाये जाने पर मेरे विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। मैं अपना आधार कार्ड स्वेच्छा से दे रहा हूँ। मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि योजना का लाभ लेने के लिए मैं Escrow Bank Account में 10 प्रतिशत अंशदान की राशि जमा करूंगा/करूंगी। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने इस तरह की योजना का लाभ किसी भी सरकारी योजना में नहीं लिया है तथा मेरे पास इस तरह की इकाई नहीं है। मैं अपने परिवार से इस योजना हेतु एकल आवेदन कर रहा/रही हूँ। मैं समूह के सदस्य के रूप में नहीं कर रहा/रही हूँ।</p>					
संलग्नक:			अनुमोदित		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. राशन कार्ड का फोटो कॉपी</li> <li>2. जमीन का मालगुजारी रसोद का फोटो कॉपी</li> <li>3. आधार कार्ड का फोटो कॉपी</li> <li>4. वंशावली/शपथ पत्र की फोटो कॉपी</li> <li>5. PM Kisan का पंजीकृत प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी</li> <li>6. जल स्रोत का प्रमाण-पत्र (ग्राम सभा द्वारा)</li> </ol>			<p>ग्राम प्रधान का हस्ताक्षर तथा मोहर Mob. No.- दिनांक-</p>		
आवेदक का हस्ताक्षर					

नोट:- आवेदक सारी जानकारी ध्यानपूर्वक भरें। त्रुटि पाये जाने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है।

कृषि समृद्धि योजना  
 कृषक समूह/महिला स्वयं सहायता समूह के लिए आवेदन पत्र  
 (समूह में सदस्यों की संख्या कम से कम 10 सदस्य होने चाहिए। एक आवेदन पत्र में अधिकतम 10 सदस्यों के लिए आवेदन किया जा सकता है। 10 से ज्यादा सदस्यों के लिए अलग से नया आवेदन किया जा सकता है। एक समूह एक वर्ष में अधिकतम दो ही आवेदन कर सकता है।)

समूह का नाम	हाँ	नहीं			
JSLPS द्वारा पंजीकृत है या नहीं (केवल महिला स्वयं सहायता समूह के लिए)					
पंजीकरण संख्या:					
समूह के गठन के तरीख					
समूह के अध्यक्ष का नाम, जो समूह की ओर से आवेदन करेंगे					
मोबाइल नंबर (आधार लिंकड)					
आधार नंबर					
समूह का पता- ग्राम					
प्रखंड					
		पंचायत जिला			
		समूह के सदस्यों एवं कृषि भूमि का विवरण			
क्र. सं.	सदस्य का नाम	आधार नंबर		भूमि का विवरण	
		आधार लिंकड	मोबाइल नंबर	मौजा-	धाना नं०-
		खता नंबर	प्लाट/खेसरा नंबर	खाता नंबर	रकबा
				एकड़	डिसिमिल
1					
2					
3					
4					

5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
<b>समूह द्वारा खेती का विवरण</b>															<b>कुल रकबा</b>						

क्रम संख्या	फसल का नाम	रकबा (एकड़ में)

सिंचाई जल स्रोत	नदी	तालाब	डोभा / कुआं
<b>घोषणा / सहमति</b> इस समूह के सभी सदस्य यह घोषणा करते हैं की योजना के प्रचालन निर्देशिका के अनुसार समूह पात्र आवेदक है और ऊपर दी गयी जानकारी सही एवं सत्य है। समूह योजना का लाभ लेने के लिए समूह द्वारा एस्कौ (Escrow) बैंक अकाउंट में 10% की अंशदान की राशि जमा करेगी। समूह यह भी घोषणा करता है की इस समूह द्वारा पूर्व में इस तरह की योजना का लाभ किसी भी श्रोत से नहीं लिया गया है और ना हो समूह और समूह के सदस्यों या उनके परिवार के पास ऐसी कोई इकाई है। समूह के आवेदन करने वाले कोई भी सदस्य या उनके परिवार के सदस्य इस योजना अलग से व्यक्तिगत आवेदन नहीं कर रहे हैं। समूह के सदस्यों की ओर से समूह के अध्यक्ष e-KYC कराएंगे।			
संलग्नक :-	1. सभी सदस्यों (अध्यक्ष सहित जिनका e-KYC किया जाना है) का आधार कार्ड का फोटो कॉपी	2. सभी सदस्यों (अध्यक्ष सहित जिनका e-KYC किया जाना है) का राशन कार्ड की फोटो कॉपी	3. सभी सदस्यों (अध्यक्ष सहित जिनका e-KYC किया जाना है) का जमीन का मालगुजारी रशीद
	अनुमोदित	ग्राम प्रधान का हस्ताक्षर तथा मोहर	मोबाइल नंबर: दिनांक-

**नोट-** आवेदक सारी जानकारी ध्यानपूर्वक भरें। त्रुटि पाये जाने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है।





प्रपत्र-घ

किसान समृद्धि योजना

Verification report of installed unit by PD ATMA

क्र.सं.	पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	विकास क्षेत्र का नाम
10			
9			
8			
7			
6			
5			
4			
3			
2			
1			

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में दर्शाए गए सभी किसानों को किसान समृद्धि योजना के तहत उपकरणों का वितरण किया गया है।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में दर्शाए गए सभी किसानों को किसान समृद्धि योजना के तहत उपकरणों का वितरण किया गया है।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में दर्शाए गए सभी किसानों को किसान समृद्धि योजना के तहत उपकरणों का वितरण किया गया है।